रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122022-241264 CG-DL-E-21122022-241264

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5708]	नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 20, 2022/अग्रहायण  29, 1944
No. 5708]	NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 20, 2022/AGRAHAYANA 29, 1944

# पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

#### आदेश

नई दिल्ली. 20 दिसम्बर. 2022

का.आ. 5946(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे सारणी में उल्लिखित, निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बने गुजरात तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का, राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, गठन करती है, अर्थात् :--

### सारणी

क्र. सं.	गुजरात तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का नाम और संपर्क ब्यौरे	पदनाम
1.	अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव,	अध्यक्ष, पदेन
	वन और पर्यावरण विभाग, गुजरात सरकार,	
	सचिवालय, ब्लॉक सं0 14/8, गांधीनगर, गुजरात	
2.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) या उसका प्रतिनिधि,	सदस्य, पदेन
	आरण्य भवन, सेक्टर-10ए, गांधीनगर, गुजरात	

8507 GI/2022 (1)

3.	उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसका प्रतिनिधि, गुजरात समुद्रीय बोर्ड, सेक्टर-10ए, वायुसेना स्टेशन के सामने, गांधीनगर, गुजरात	सदस्य, पदेन
4.	सदस्य सचिव, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण भवन, सेक्टर-10ए, वायुसेना स्टेशन के सामने, गांधीनगर, गुजरात	सदस्य, पदेन
5.	उद्योग आयुक्त या उसका प्रतिनिधि, उद्योग भवन, गांधीनगर, गुजरात	सदस्य, पदेन
6.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसका प्रतिनिधि, गुजरात राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, गांधीनगर, गुजरात	सदस्य, पदेन
7.	मुख्य नगर योजनाकार या उसका प्रतिनिधि, गुजरात, पुराना सचिवालय, ब्लॉक सं0 14/2, गांधीनगर, गुजरात	सदस्य, पदेन
8.	सदस्य सचिव, गुजरात पारिस्थितिकी आयोग, गांधीनगर, गुजरात	सदस्य, पदेन
9.	मछली उद्योग आयुक्त, गुजरात, पुराना सचिवालय, ब्लॉक सं0 10/3, गांधीनगर, गुजरात	सदस्य, पदेन
10.	श्री टी.पी.सिंह, महानिदेशक, भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू- सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन), निकट सीएच 'ओ' सर्कल, इंदूलाल याग्निक मार्ग, गांधीनगर, गुजरात-382007	विशेषज्ञ सदस्य
11.	श्री डी.टी. वसावदा, आईएफएस (सेवानिवृत्त), 402, दीपमंदिर परिसर, वंजारी चौक, जूनागढ़, गुजरात-362001	विशेषज्ञ सदस्य
12.	डॉ. एच.बी. चौहान, ज्येष्ठ वैज्ञानिक, एसएफ, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, निवासी-डी/53, कोनार्क करिशमा, रेणुका हाल के सामने, न्यायाधीश बंगला रोड, वस्त्रपुर, अहमदाबाद-380015	विशेषज्ञ सदस्य
13.	डॉ. सी.एन.पांडे, आईएफएस, सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्लाट नं. 726/बी, सेक्टर-8-सी, गांधीनगर , गुजरात	विशेषज्ञ सदस्य
14.	मै0 विकास सेन्टर फार डेवेलपमेंट, ईशावास्यम, लाजपतनगर के सामने, ईशिता टावर रोड, नवरंगपुरा, नवजीवन, अहमदाबाद-380014, गुजरात	सदस्य, गैर शासकीय संगठन ;
15.	निदेशक (पर्यावरण), वन और पर्यावरण विभाग, गुजरात गांधीनगर, गुजरात	सदस्य सचिव ।

- 2. प्राधिकरण का मुख्यालय गुजरात स्थित गांधीनगर में होगा।
- 3. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति, इसके सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से होगी।
- 4. पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य को, केंद्रीय सरकार द्वारा नियत मानदंडों के अनुसार भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
- 5. सदस्य, हितों के किसी भी विरोध से बचने के लिए, किसी ऐसी परियोजना के, जिसके लिए उन्होंने परामर्श सेवा प्रदान की है, अंकन की प्रक्रिया में, प्राधिकरण की किसी बैठक में से स्वयं को अलग कर सकेगा (सकेंगे)।
- 6. प्राधिकरण, गुजरात राज्य में तटीय पर्यावरण की क्वालिटी को संरक्षित करने और सुधारने तथा तटीय विनिमय जोन क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात् :--
- (i) प्राधिकरण, परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आवेदन प्राप्ति के पश्चात्, यदि वह अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना के अनुसरण में हैं और भारत सरकार द्वारा, यथास्थिति, संख्यांक का.आ.19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा जारी की गई तटीय विनिमय जोन की अधिसूचना, 2011 या का.आ.37 (अ), तारीख 18 जनवरी, 2019 द्वारा जारी तटीय विनिमय जोन अधिसूचना, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) की अपेक्षाओं के भीतर है

तो उसका परीक्षण करेगा और संबद्ध प्राधिकरण ऐसी परियोजना के अनुमोदन के लिए, जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर सिफारिश करेगा;

- (ii) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार तटीय विनियमन जोन में सभी विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करेगा ;
- (iii) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के उपबंधों का प्रवर्तन और मानीटरी के लिए उत्तरदायी होगा ;
- (iv) प्राधिकरण को, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करने की शक्ति प्रत्यायोजित की जाएगी;
- (v) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए प्राधिकृत है;
- (vi) प्राधिकरण, उसके समक्ष तथ्यों को सत्यापित करने के लिए, ऐसी कार्रवाई करेगा, जैसी उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन अपेक्षित है:
- (vii) प्राधिकरण, तटीय विनिमय जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरणों के लिए गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की परीक्षा करेगा और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को उस पर विनिर्दिष्ट सिफारिश देगा ;
- (viii) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अभिकथित अतिक्रमण के मामलों में जांच करेगा और उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण या उल्लंघन को अंतर्विलत करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करेगा;
- (ix) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण या उल्लंघन के मामलों में स्वप्रेरणा से या किसी व्यष्टि या निकाय या संगठन द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर जांच या पुनर्विलोकन करेगा।
- 7. प्राधिकरण, अपने कृत्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयोजन के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार करेगा और इसके कृत्य, जिसके अंतर्गत बैठकों में कार्यसूची, बैठकों का कार्यवृत्त, प्रत्येक बैठकों में किए गए विनिश्चय, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण तथा उल्लंघन के मामलों में सिफारिशें और ऐसे अतिक्रमण तथा उल्लंघन पर की गई कार्रवाई और न्यायालय मामले जिसके अंतर्गत न्यायालयों के आदेश हैं और राज्य सरकार की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना से संबंधित सूचना डालेगा।
- 8. प्राधिकरण, छह मास में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को भेजेगा।

[फा. सं. जे-17011/30/1999-आईए-III(भाग)]

डॉ .सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE ORDER

New Delhi, the 20 December, 2022

**S.O. 5946E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes the Gujarat Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, mentioned in the table below for a period of three years with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:-

#### **TABLE**

S.No.	Name and Contact details of Gujarat Coastal Zone Management Authority	Designation
1.	Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Forests and Environment Department, Government of Gujarat, Sachivalaya, Block No.14/8, Gandhinagar, Gujarat	Chairman, ex-officio
2.	Principal Chief Conservator of Forests (Wild Life) or his representative, Aranya Bhavan, Sector-10A, Gandhinagar, Gujarat	Member, ex-officio
3.	Vice Chairman and Chief Executive Officer or his representative, Gujarat Maritime Board, Sector-10A, Opposite Air Force Station, Gandhinagar, Gujarat	Member, ex-officio
4.	Member Secretary, Gujarat Pollution Control Board, Paryavaran Bhavan, Sector-10A, Opposite Air Force Station, Gandhinagar, Gujarat	Member, ex-officio
5.	Industries Commissioner or his representative, Udhoy Bhavan, Gandhinagar, Gujarat	Member, ex-officio
6.	Chief Executive Officer or his representative, Gujarat State Disaster Management Authority, Gandhinagar, Gujarat	Member, ex-officio
7.	Chief Town Planner or his representative, Gujarat, Old Sachivalaya, Block No. 14/2, Gandhinagar, Gujarat	Member, ex-officio
8.	Member Secretary, Gujarat Ecology Commission, Gandhinagar, Gujarat	Member, ex-officio
9.	Commissioner of Fisheries, Gujarat, Old Sachivalaya, Block No.10/3, Gandhinagar, Gujarat	Member, ex-officio
10.	Shri T.P.Singh, Director General, Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geo-informatics (BISAG-N), Near CH 'O' Circle, IndulalYagnik Marg, Gandhinagar, Gujarat-382007	Expert Member
11.	Shri D.T.Vasavada, IFS(Retd), 402, Deepmandir Complex, Vanzari Chowk, Junagadh, Gujarat-362001	Expert Member
12.	Dr. H.B. Chauhan, Senior Scientist, SF, Space Application Centre, R/o- D/53, Konark Karishma Opp. Renuka Hall, Judges Bungalow Road, Vastrapur Ahmedabad-380015	Expert Member
13.	Shri C.N. Pandey, IFS, Retired PCCF,Plot No.726/B, Sector-8-C, Gandhinagar, Gujarat	Expert Member
14.	M/s Vikas Centre for Development, Ishavasyam, Opposite Lajpatnagar, Eeshita Tower Road, Navarangpura, Navjeevan, Ahmedabad-380014, Gujarat	Member, Non- Government Organisation
15.	The Director (Environment), Forests and Environment Department, Gujarat, Gandhinagar, Gujarat	Member Secretary

- 2. The Authority shall have its headquarters at Gandhinagar, Gujarat.
- 3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one-third of the total number of its Members.
- 4. A Member, other than an *ex-officio* Member, shall be paid allowances as per the norms decided by the Central Government.
- 5. In order to avoid any conflict of interest, the Member(s) shall recuse themselves from the meeting of the Authority, in the process of appraisal of any project, for which they have rendered consultancy service.
- 6. The Authority shall, for the purposes of protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the State of Gujarat, take the following measures, namely: -
  - (i). the Authority shall, after receiving the application for approval of project proposal, examine the same if it is in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and within the requirements of the Coastal Regulation Zone notification, 2011 issued by the Government of India *vide* number S.O.19(E), dated the 6<sup>th</sup> January, 2011 or Coastal Regulation Zone Notification, 2019 issued vide G.S.R. 37(E), dated the 18th

January, 2019 (hereinafter referred to as the said notification), as the case may be, and make recommendations for approval of such project to the concerned authority, as specified in the said notification, within a period of sixty days from the date of receipt of such application;

- (ii). the Authority shall regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;
- (iii). the Authority shall be responsible for enforcing and monitoring the provisions of the said notification;
- (iv). the Authority is delegated with powers to issue directions under section 5 of the said Act;
- (v). the Authority is authorized to file complaints under section 19 of the said Act;
- (vi). the Authority shall take such action as may be required under section 10 of the said Act, to verify the facts of the cases before it.
- (vii). the Authority shall examine the proposals received from the State Government of Gujarat for changes or modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and make specific recommendations thereon, to the National Coastal Zone Management Authority;
- (viii). the Authority shall inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder, and review the cases involving violations or contraventions of the provisions of the said Act and the rules made thereunder:
- (ix). the Authority shall inquire or review cases of violations or contraventions of the said notification *suo-moto*, or on the basis of a complaint made by any individual or body or organization;
- 7. The Authority shall, for the purpose of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meetings, minutes of the meetings, decisions taken in each meeting, recommendations for matters on violations and contravention of the said notification and actions taken on such violations and contraventions, court matters including the orders of the courts and the approved Coastal Zone Management Plan of the State Government.
- 8. The Authority shall furnish reports of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

[F. No. J-17011/30/1999-IA.III(Part)]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.